1/8085947/24

संख्या-डीएफए/932748/38-7099(99)/1/2023

प्रेषक

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर 2024

विषयः- सोशल आडिट निदेशालय के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत ब्लाक/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के मानदेय में ई0पी0एफ0 जोड़ने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 141/सो0आ0नि0-3/529/2024, दिनांक 02-05-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सोशल आडिट निदेशालय के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत ब्लाक/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के मानदेय संबंधी शासनादेश संख्या-डी0एफ0ए0 418422/38-7099(99)/1/2023, दिनांक 02-03-2023 द्वारा निर्धारित मानदेय में अतिरिक्त यात्रा भत्ता की धनराशि जोड़ते हुए मानदेय में वृद्धि किए जाने का का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित कार्मिक के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित मानदेय में वृद्धि करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित मानदेय प्रदान किए जा का निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	पद का नाम	वर्तमान मानदेय	वृद्धि के पश्चात मानदेय

		(प्रतिमाह रू0 में)	(प्रतिमाह रूपये में)
1-	ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर	15,348/-	16,348/-
2-	जिला सोशल आडिट कोआर्डेनिटर	21,772/-	23,772/-

3- उक्त वृद्धि लागू किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ब्लाक/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के मानदेय में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न व्यय भार शासनादेश दिनांक 25 फरवरी, 2014 के माध्यम से सोशल आडिट संगठन हेतु प्रशासकीय व्यय का 01 प्रतिशत वार्षिक व्यय भार की अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत ही रहेगा। अतः कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Ajay Kumar Mishra
Date: 28-11-2024 14:36:40

(अजय कुमार मिश्र)
अनु सचिव।